न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 129/2018 दायरा दिनांक : 07.08.2018

उनवान

मोहनलाल वल्द गिरधारी, जाति सुनार, निवासी खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— मांग्या वल्द गोमदा, जाति धाकड, निवासी डूगरपुर, तहसील खानपुर

2— देवलाल वल्द जमनालाल जी, जाति धाकड़, निवासी सावनभादो

3— शोजी वल्द भंवरिया, जाति धाकड, निवासी डूगरपुर मृतक जरये कायम मुकामान :—

3/1— शंकर वल्द श्योजी मृतक जरिये कायम मुकामान —

3/1/1— राधा बाई पत्नी शंकर

3/1/2— सोनू पुत्र शंकर

3/1/3— धर्मेन्द्र पुत्र शंकर

4— रामनाथ वल्द भंवरिया, जाति धाकड, निवासी डूंगरपुर, तहसील खानपुर

5— बिरधीलाल पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड

6— भेरूलाल पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

7– रामहेतार पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड

8– रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड

9– नवनीत पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड

10– जानकी बाई पुत्री प्रभूलाल जी, जाति धाकड

11– रत्ती बेवा प्रभूलाल, जाति धाकड

निवासीगण ग्राम खंडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

12– राजस्थान सरकार जरये तहसील खानपुर

13– मैनेजर झालावाड सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा खानपुर

14– सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रघुवीर गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : **23.08.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 317/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खण्डी की आराजी खसरा नम्बर 998, 1005, 1007, 1034, 1037 लगायत 1041, 1043, 1050 व 1141 रकबा 78 बीघा 10 बिस्वा प्रभूलाल वल्द काना अपीलांट व मांग्या वल्द गोमदा, देवलाल वल्द जमनालाल, रामकिशन वल्द जमनालाल, शोली वल्द भवंरिया, रामनाथ वल्द भंवरिया के शामलाती खाते की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.08.2004 को निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित की जिससे अप्रसन्न होकर प्रभूलाल वल्द काना द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश हुई। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2007 से प्रभूलाल वल्द काना अपीलांट का वाद स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.08.2004 को रेस्पोडेंट नम्बर 1 के 1/4 हिस्से तक यथावत रखते हुए विवादित आराजी में अपीलांट का 1/8, रेस्पोडेंट नम्बर 2 का 1/8 बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट नम्बर 4 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट नम्बर 6 का 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिकी को तद्नुसार संशोधित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्तानुसार हस्व कायदा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर समस्त पक्षकारों के बारे में विभाजन की अंतिम डिकी पारित करें । पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.11.2007 को उपस्थित होवें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम डिकी दिनांक 27.08.2014 को पारित कर दी जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी न्याय, विधि एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा आदेश पारित किया है जो अपीलांट द्वारा प्रकरण में बिना जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना एक तरफा आदेश फरमाया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर स्थित आराजी में

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट का 1/8 हिस्से का सहखातेदार है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 1037 की जरिये रजिस्ट्री खरीद के बाद से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है । अपीलांट व रेस्पोडेंट अपनी अपनी आराजी को खरीद के बाद से तथा रेस्पोडेंट द्वारा मौखिक रूप से बंटवारा किया जाकर रेस्पोडेंट द्वारा मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 1037 व 1038 मौखिक बंटवारे के आधार पर संभलाया था किन्तु अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही एक तरफा आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को बिना सुने व बिना जानकारी व सहमति के खसरा नम्बर 1037 व 1038 को त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक रूप से रेस्पोडेंट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु एक तरफा आदेश पारित किया है जो कि अपीलांट ने जरिये रजिस्ट्री खरीद के बाद से निरन्तर अबाध रूप से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु उक्त एक तरफा आदेश से बिना किसी सुनवाई व जवाबदेही के आराजी में समस्या हो गई है । रेस्पोडेंट उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है और रेस्पोडेंट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया तो अपीलांट को अपार क्षति होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिकी निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनकर, जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर देकर आदेश पारित फरमावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

टंकणकर्ता
जाँच
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.08.2004 को रेस्पोडेंट नं. 1 के 1/4 हिस्से तक यथावत रखते हुए विवादित आराजी में अपीलांट का 1/8, रेस्पोडेंट नं. 2 व 3 का 1/8 बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट नं. 4 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट नं. 6 का 1/4 हिस्सा घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री को संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्तानुसार हस्व कायदा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर समस्त पक्षकारों के बारे में विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की पालना कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की है जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सरहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/8/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मोहनलाल वल्द गिरधारी, जाति सुनार, निवासी खानपुर, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– मांग्या वल्द गोमदा, जाति धाकड, निवासी डूगरपुर, तहसील खानपुर
2– देवलाल वल्द जमनालाल जी, जाति धाकड़, निवासी सावनभादो
3– शोजी वल्द भंवरिया, जाति धाकड, निवासी डूगरपुर मृतक जरये कायम मुकामान :–
3/1– शंकर वल्द श्योजी मृतक जरिये कायम मुकामान –
3/1/1– राधा बाई पत्नी शंकर
3/1/2– सोनू पुत्र शंकर
3/1/3– धर्मेन्द्र पुत्र शंकर
4– रामनाथ वल्द भंवरिया, जाति धाकड, निवासी डूंगरपुर, तहसील खानपुर
5– बिरधीलाल पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड
6– भेरूलाल पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड
7– रामहेतार पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड
8– रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड
9– नवनीत पुत्र प्रभूलाल जी, जाति धाकड
10– जानकी बाई पुत्री प्रभूलाल जी, जाति धाकड
11– रत्ती बेवा प्रभूलाल, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम खंडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
12– राजस्थान सरकार जरये तहसील खानपुर
13– मैनेजर झालावाड सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा खानपुर
14– सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 129/2018 एवं मु.द.नं0 317/2008

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **27.08.2014**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26** माह **07** सन् **2022**

हाजरी **श्री रघुवीर गौड़** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं **श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट न0.1 लगायत 3 की ओर से
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.08.2014 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23** माह **08** सन् **2022** को जारी किया गया ।

23/8/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ कोटा ★ मोहर